

By Regd. Post

From.

S. S. Gautam,  
Deputy Registrar(M),  
High Court of Judicature at,  
Allahabad.

Request - ay

To,

The District Judge,  
Jaunpur.

98

No. 14788 /IV-3018/Admin.(A) dated 23-10-2013

Subject: Inclusion of qualification of LL.M. degree of Sri Mridul Kumar Mishra, Additional Civil Judge (Sr. Div.), Jaunpur.

Sir,

With reference to your endorsement No. J.K. 1357/XV dated 27.09 2013, on the above subject, I am request you kindly to direct Sri Mridul Kumar Mishra, Additional Civil Judge (Sr. Div.), Jaunpur to give adequate and cogent reason that why he has not mentioned LL.M. degree in the application form. if he had completed this degree before coming into service and submit attested (not self-attested) copies of marksheets of LL.M. (1st and 2nd year) and its degree if he wants to include LL.M. degree in his service records to this Court, so that further action may be taken in the matter :

Yours faithfully,

S. S. Gautam  
22.10.13  
Deputy Registrar

99

No. 14789 /IV-3018/Admin.(A) dated 23-10-2013

Copy forwarded for information and necessary action to Sri Mridul Kumar Mishra, Additional Civil Judge (Sr. Div.), Jaunpur.

S. S. Gautam  
22.10.13  
Deputy Registrar

S.O./A.R. (Admin - A-D) DR(M)  
May like to issue?

Mishra  
21.10.2013  
ARO

DR  
22/10/13

DR  
22-10-13  
AR.

sp 9759 Serial  
3-10-13 5-10-13  
Total 2 page

1648 - 8  
7-10-13  
IV/3018  
93  
9/10/13 JUK  
10/10/13

प्रेषक,

मृदुल कुमार मिश्र,  
अपर सिविल जज(सी०डि०) द्वितीय,  
जौनपुर।

सेवा में,

माननीय महा निबन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा,

आदरणीय जनपद न्यायाधीश,  
जौनपुर।

विषय: पत्र संख्या-12905/IV-3018/एडमिन (A) दिनांकित  
16.09.2013 के सम्बन्ध में :-

महोदय,

आपके उपरोक्त पत्र द्वारा मुझे यह अवगत कराया गया है कि मैंने अपने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के प्रार्थना-पत्र में विधि के स्नातकोत्तर उपाधि का उल्लेख नहीं किया है इसलिये मुझे तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदत्त नहीं की जायेगी।

इस संदर्भ में मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मैंने विधि की स्नातकोत्तर उपाधि वर्ष-1996 में काशी हिन्दू विश्व विद्यालय से प्राप्त की है तथा मैंने न्यायिक सेवा में दिनांक 22.12.2003 को कार्यभार ग्रहण किया है। जिससे स्पष्ट है कि न्यायिक सेवा में चयन की समय मेरे पास विधि की स्नातकोत्तर उपाधि थी तथा शासनादेश सं०-1363/2-4-2009-45 (12)/91 टी०सी० दिनांकित 13 मई-2009 के अनुसार ऐसे न्यायिक अधिकारी जिनके पास चयन के समय विधि की स्नातकोत्तर उपाधि हो उन्हें तीन अग्रिम वेतन वृद्धियाँ प्राप्त होनी हैं मेरा विनम्र निवेदन यह भी है कि त्रुटिवश न्यायिक सेवा के प्रार्थना-पत्र में विधि की स्नातकोत्तर उपाधि का उल्लेख नहीं हो पाया है। जबकि सम्भवतः मैंने अपने

request-ay

982

30/6

So. Adm. H/A

D.R.(M)  
5-10-13

9

JRM  
(10.10.13)

Smt. Anshu  
W  
21-10-13  
812

Request-94

स्नातकोत्तर अंक-पत्र एवं उपाधि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न की है।

अतः मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि मेरे न्यायिक सेवा के प्रार्थना-पत्र में विधि स्नातकोत्तर उपाधि धारक अंकित करने हेतु एवं तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदत्त करने हेतु मेरे प्रार्थना-पत्र को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

प्रार्थी सदैव आपका आभारी रहेगा।

सादर,

दि०-27.09.13

भवदीय,

( मृदुल कुमार मिश्र ),

अपर सिविल जज(सी०डि०)द्वितीय,  
कोर्ट नं०-10, जौनपुर।

**I.D.No.-6092**

जौनपुर न्यायालय

पत्रांक: 27.9.13

अप्रसारित: 27.9.13

मानपत्र न्यायालय  
जौनपुर।